रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937
No. 123] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी.-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/001.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में,-

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में, शब्द "सत्ता", जहाँ कहीं भी यह आता हो, शब्द "एंटिटी" से प्रतिस्थापित हो जायेगा ।

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में, शब्द "विशेष प्रयोजन की सुभिन्न", जहाँ कहीं भी ये आते हों, शब्दों "विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में, शब्द "श्रृंखला", जहाँ कहीं भी यह आता हो, शब्द "भाग" से प्रतिस्थापित हो जायेगा ।

(iv) विनियम 4 में,-

(क) उप-विनियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से भिन्न कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) के अधीन यथा परिभाषित कोई लोक वित्तीय संस्था; और

(छ) कोई अन्य व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।"

(ख) उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2क) न्यासी के रूप में कार्य करने हेतु रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले आवेदक, -

(क) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) दो करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण. – इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "शुद्ध-मालियत" से समादत्त शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्वस्) का कुल मूल्य (पुनर्मूल्यांकन में से सृजित आरक्षितियों को छोड़कर), उसमें से संचित हानियों और आस्थगित व्यय, जो बट्टे-खाते न डाला गया हो, के कुल मूल्य को घटाकर, अभिप्रेत है;

(ख) के यहाँ न्यूनतम ऐसे दो व्यक्ति कार्यरत होंगे जिनका, मिलाकर, प्रतिभूतीकरण से संबंधित क्रियाकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो और उनमें से कम से कम एक के पास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था से या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में वृत्तिक अर्हता होगी :

परंतु यह कि उपरोक्त अपेक्षाएँ राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक पर तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर लागू नहीं हैं ।"

(v) विनियम 11 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) न्यासी,-

(क) प्रतिभूत ऋण लिखतों के लिए प्रतिभूति के सृजन संबंधी प्रसंविदाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) ऐसे कार्य करेगा जो प्रतिभूति के प्रवर्तनीय हो जाने की दशा में आवश्यक हों और निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के हित में प्रतिभूति के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करेगा;

(ग) ऐसे कार्य करेगा जो निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए और निवेशकों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक हों;

(घ) सतत् आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विशिष्ट स्कीम / भाग (ट्रेंच) की न्यास संपत्ति सभी समयों पर उस विशिष्ट स्कीम / भाग (ट्रेंच) के प्रतिभूत ऋण लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) धारकों को भुगतान करने के लिए उपलब्ध हों;

(ङ) प्रारंभकर्ताओं (ऑरिजिनेटर्स) द्वारा सूचीबद्धता करारों (यदि लागू हों) का, न्यास विलेख का या किसी अन्य संव्यवहार संबंधी दस्तावेज (ट्रान्जेक्शन डाक्यूमेंट) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्यक तत्परता बरतेगा और यदि प्रारंभकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित बैंककारी कंपनी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी हो, तो न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि उसने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइज़ेशन) के लिए विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) का अनुपालन कर लिया है;

(च) निवेशकों के हित का संरक्षण करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिसमें उसके द्वारा किसी विधि, किन्हीं नियमों, विनियमों, बोर्ड के या किसी अन्य विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) के निदेशों के किसी तात्विक भंग या अननुपालन के संबंध में उसके खिलाफ शुरू की गयी किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाही, इत्यादि के बारे में बोर्ड को सूचित करना सम्मिलित है;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूत ऋण लिखतों का प्रतिसंदाय या मोचन उपबंधों (प्रावधानों) और उन शर्तों के अनुसार कर दिया गया है जिनके अधीन उनका प्रस्ताव निवेशकों को किया गया था;

(ज) अंडरलाइंग आस्ति (एसेट) पूल के प्रदर्शन के संबंध में प्रारंभकर्ता से, कम से कम तिमाही आधार पर, आवधिक रिपोर्टें मंगायेगा;

(झ) सर्विसर द्वारा उसकी बाध्यताओं के अनुपालन और उसके संबंध में की गयी कार्रवाइयों के बारे में निवेशकों को, कम से कम तिमाही आधार पर, संसूचित करेगा;

(ञ) प्रतिभूतिकरण न्यास को समनुदेशित अंडरलाइंग आस्ति पूल के प्रकटीकरणों, जो प्रारंभकर्ता द्वारा किये गये हों, के संबंध में प्रारंभकर्ता के संपरीक्षक (संपरीक्षकों) से, तिमाही आधार पर, प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा;

(ट) प्रारंभकर्ता या प्रारंभकर्ता के संपरीक्षक (संपरीक्षकों) से यथा प्राप्त ऐसी रिपोर्टों और संपरीक्षकों के प्रमाणपत्र को, उस साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) के साथ साझा करेगा जो प्रतिभूत ऋण लिखत की रेटिंग कर रही हो;

(ठ) तत्समय बकाया मूल्य के अनुसार कम से कम एक-दहाई निवेशकों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित मांग पर या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर सभी निवेशकों की बैठक बुलायेगा, जिससे सर्विसर डिफाल्ट हो जाता हो अथवा जो न्यासियों की राय में निवेशकों के हित को प्रभावित करती हो;

(ड) सतत् आधार पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार शुद्ध-मालियत बनाये रखेगा तथा शुद्ध-मालियत में होने वाली किसी कमी के संबंध में बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा और छह महीनों की अवधि के भीतर शुद्ध-मालियत को पूरा करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा;

(ढ) यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण संबंधी स्थिति में होने वाले किसी परिवर्तन या बोर्ड द्वारा की गयी किसी प्रशासनिक, सिविल अथवा दांडिक (शास्तिक) कार्रवाई या वित्तीय स्थिति में होने वाले किसी तात्विक परिवर्तन, जो निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो, की सूचना निवेशकों को तुरंत देगा;

(ण) निर्गम (इश्यू) की बाबत न्यासी के तौर पर जिम्मेदारी का त्याग नहीं करेगा, जब तक कि दूसरा न्यासी उसके स्थान पर नियुक्त न हो जाये;

(त) के पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अवसंरचना होगी (इंफ्रास्ट्रक्चर होगा), जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

(i) सर्विसरों / प्रारंभकर्ता से जानकारी और रिपोर्टें एकत्र करना;

(ii) नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) रिपोर्टें, भुगतान रिपोर्टें तैयार करना और बोर्ड के या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) / परिपत्रों के अधीन अपेक्षित सभी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूरा करना;

(iii) निवेशक संबंधी जानकारी का रिकार्ड रखना;

(iv) विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी के लिए डाटा दर्ज करना और उसे रखना, जिसमें नकदी प्रवाह, लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी आदि (फाइनेंशियल्स), कराधान संबंधी जानकारी, इत्यादि सम्मिलित हैं;

(v) ब्याज और मूलधन के भुगतानों के लिए चेक / मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) जारी करने या आरटीजीएस / एनईएफटी आदि करने संबंधी कार्यवाही करना;

(vi) नियंत्रित पहुँच (एक्सेस कंट्रोल) की पर्याप्त व्यवस्था, ताकि डाटा (आँकड़ों) की गोपनीयता सुनिश्चित हो सके;

(vii) बैकअप और संकट निवारण (डिज़ास्टर रिकवरी) के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ।

(थ) उन कर्तव्यों के पालन के लिए अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा, जिनमें सम्मिलित है :

(i) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार (राज्य सरकारों) द्वारा जारी_अधिनियमों, नियमों और विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स), अनुदेशों, इत्यादि के अनुपालन का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करना;

(ii) निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) की शिकायतों का निवारण करना ।

(vi) अनुसूची III में, पैरा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"12. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी और उसका न्यासी तत्परता से, नैतिकता से और वृत्तिक रूप से अपनी बाध्यताओं की पूर्ति करेगा ।

13. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी और उसका न्यासी किसी भी व्यक्ति को, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, उसके निवेशकों के बारे में कोई गोपनीय जानकारी, जो उसे पता चले, उसके निवेशकों की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना, प्रकट नहीं करेगा, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसे प्रकटीकरण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन में किये जाने अपेक्षित हों ।

14. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी और उसका न्यासी या उसके निदेशकों, भागीदारों या प्रबंधकों में से कोई, चाहे अपनी तरफ से या अपने सहयुक्तों अथवा परिवार के सदस्यों, नातेदारों अथवा मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं होगा।

15. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी और उसके न्यासी के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और वित्तीय तथा प्रचालन-संबंधी क्षमताएँ होंगी, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती हो कि वे उसके प्रचालनों, उसके निवेशकों और अन्य रजिस्ट्रीकृत एंटिटियों को चोरी, कपट तथा बेईमानी के अन्य कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों से होने वाली वित्तीय हानि से संरक्षण प्रदान कर सकती हैं ।

16. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी और उसका न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि कारपोरेट संबंधी अच्छी नीतियाँ निर्धारित हों तथा अच्छा कंपनी शासन निर्धारित हो और वे आंतरिक आचार संहिता बनायेंगे, ताकि उसके आंतरिक प्रचालनों को विनियमित किया जा सके और उनके कर्मचारियों के लिए (उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु) समुचित आचरण के मानक निर्धारित किये जा सकें ।

17. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी और उसका न्यासी –

i. मिथ्या बाजार के सृजन ;

ii. कीमत हेरफेर या छलसाधन (हेराफेरी)

में पक्षकार नहीं होगा ।"

(vii) अनुसूची V में, पैरा 4.2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4.3 संक्षिप्त निबंधन-पत्रक (टर्म शीट) जिसमें प्रतिभूत ऋण लिखत (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्सट्रूमेंट) के संबंध में कम से कम निम्नलिखित जानकारी (जहाँ भी सुसंगत हो) सम्मिलित है:-

प्रारंभकर्ता (ऑरिजिनेटर्स)	___________,__________(प्रत्येक "**प्रारंभकर्ता**" के रूप में उल्लिखित और सामूहिक रूप से "**प्रारंभकर्ताओं**" के रूप में उल्लिखित)
न्यासी (ट्रस्टी)	[न्यासी का नाम]
निर्गमकर्ता (इश्युअर)	[विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी (एसपीडीई) का नाम]
न्यास संपत्ति	

एसपीडीई में आरंभिक अंशदान	₹ [ ]
संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) का आकार	₹ [ ]
निपटान (सेटलमेंट) की तारीख को पूल का मूलधन (प्रिंसिपल)	₹ [ ]
पूल की निर्धारित (कट-ऑफ) तारीख	[तारीख] [भावी (फ्यूचर) कट-ऑफ {यदि परिक्रामी(रिवॉल्विंग) स्वरूप के हों} का या भावी प्राप्यों (फ्यूचर रिसीवेबल्स) की खरीद का उल्लेख करें]
निपटान की तारीख	[तारीख]
पे-आउट की तारीखें	[तारीख]
संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) की संरचना	प्रत्येक प्रारंभकर्ता निपटान की तारीख को निर्गमकर्ता को निम्नलिखित आस्तियाँ बेचने का प्रस्ताव करता है: [आस्तियों का स्वरूप] [आस्तियों का विवरण] [रकम] आस्तियों के योग का उल्लेख "**कुल पूल**" के रूप में किया जायेगा । [उल्लेख करें कि क्या सौदा (डील) सममूल्य पर / प्रीमियम पर / डिस्काउन्ट पर है] निर्गमकर्ता (इश्युअर) [ ] प्रतिभूत ऋण लिखतों को निर्गमित करने का आशय रखता है, जिससे पूल सहित निर्गमकर्ता की संपत्ति में अविभक्त फायदाप्रद हित (अनडिवाइडेड बेनिफिशियल इंटरेस्ट) व्यक्त होता हो । [यदि भावी विक्रय (फ्यूचर सेल्स) हों, तो उल्लेख करें]
प्राप्य	[प्राप्यों का विस्तृत विवरण] [सभी प्राप्यों का योग]
पूल की मुख्य विशेषताओं और संरचना के संबंध में प्रकटीकरण	एलटीवी-आधारित, अवधि-आधारित, टिकट साईज़ आधारित वितरण आदि
संग्रहण अवधि	____________________
सर्विसर	____________,______________ (व्यक्तिगत रूप से "**सर्विसर**" के रूप में उल्लिखित और सामूहिक रूप से "**सर्विसरों**" के रूप में उल्लिखित) • सर्विसर (सर्विसरों) की बाध्यताएँ (रिपोर्टिंग बाध्यताओं सहित) • सर्विसर (सर्विसरों) की चूक (के डिफॉल्ट) की घटनाएँ • सर्विसर (सर्विसरों) को बदलने का अधिकार
सर्विसर की फीस और प्रोत्साहन	[ ]
विधिक (लीगल) काउंसेल	____________ [उल्लेख करें कि काउंसेल किसका प्रतिनिधित्व करता है]
संव्यवहार हेतु क्रेडिट वृद्धि	• प्रतिभूत ऋण लिखतों के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट वृद्धि,

	पूर्ण रकमों में और पूल के मूलधन (प्रिंसिपल) के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त • प्रतिभूत ऋण लिखतों के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध बाह्य क्रेडिट वृद्धि, पूर्ण रकमों में और पूल के मूलधन (प्रिंसिपल) के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त • संलग्नक जो यह दर्शाये कि उपरोक्त क्रेडिट वृद्धि की गणना कैसे की गयी (धारणाओं सहित) • क्रेडिट वृद्धि का प्रदाता (प्रोवाइडर)
उपयोग की प्रक्रिया और क्रेडिट वृद्धि के उपयोग हेतु शर्तें	[ ]
अभिहित बैंक का नाम [जिसके यहाँ नकद संपार्श्विक (कैश कलैट्रल) और / या संग्रहण तथा भुगतान खाता (कलेक्शन एंड पेमेंट अकाउण्ट) रखा जाता हो]	
स्वैप	स्वैप का स्वरूप स्वैप प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी), स्वैप प्रतिपक्षकार की रेटिंग
क्रेडिट वृद्धि में प्रतिदाय (रिफंड) / बढ़ोतरी (टॉप अप)	[ ]
क्लीन-अप कॉल ऑप्शन	[ ]
सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के ब्यौरे	- सूचीबद्धता हेतु समय - सूचीबद्ध रहने की शर्तें - असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का परिणाम
रेटिंग एजेंसी (एजेंसियाँ)	[ ]
प्रतिभूत ऋण लिखतों का क्रम (सीरीज़)	[उल्लेख करें कि पहले किसे और बाद में किसे]
दिवस गणना पद्धति (डे काउन्ट कन्वेनशन)	[ ]

	सीरीज़ ए1 प्रतिभूत ऋण लिखतें	**सीरीज़ ए2** प्रतिभूत ऋण लिखतें	**सीरीज़ ए3** प्रतिभूत ऋण लिखतें
वरीयता-क्रम			
अंकित मूल्य			
आरंभिक रेटिंग			
परिपक्वता (मैच्युरिटी) की अंतिम तारीख			
परिपक्वता (मैच्युरिटी) की			

प्रत्याशित तारीख			
प्रत्याशित प्राप्ति			
भुगतान की अनुसूची			
प्रत्याशित भुगतान की अनुसूची			
आश्वस्त भुगतान की अनुसूची			
प्रथम पे-आउट तारीख			
पोर्टफोलियो ऑडिट			
प्राप्यों हेतु पात्रता मानदंड	विनियामक अपेक्षाएँ निवेशक संबंधी अपेक्षाएँ (संकेंद्रण आदि)		
न्यूनतम धारिता (होल्डिंग) अवधि, यदि कोई हो	न्यूनतम धारिता अवधि, यदि कोई हो, जिसके दौरान प्राप्य प्रारंभकर्ता द्वारा रखे जाते हैं		
न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा, यदि कोई हो	प्राप्यों के संबंध में, प्रारंभकर्ता, यदि कोई हो, की सतत हिस्सेदारी (स्टेक), यदि कोई हो		
संव्यवहार संबंधी दस्तावेजों (ट्रान्जेक्शन डाक्यूमेंट) के ब्यौरे			
लागू विधि (कानून) और अधिकारिता (क्षेत्राधिकार)			
वॉटरफॉल मैकेनिज़्म	प्रत्येक निवेशक और स्वैप प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी) के प्रति नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) संबंधी नियम, और अधिक ब्याज / अवशिष्ट नकदी प्रवाहों की दशा में व्यवहार (ट्रीटमेंट) तथा अंडरलाइंग उधारों के पूर्व-भुगतान या उधार संबंधी ब्याज दर में परिवर्तन की दशा में व्यवहार (ट्रीटमेंट)		

"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./69 जैड बी/15]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/12/126567 द्वारा, 26 मई 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PUBLIC OFFER AND LISTING OF SECURITISED DEBT INSTRUMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015

No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/001.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008, namely:─

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2015.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008, ─

(i) in regulation 4,-

(a) in sub-regulation (2), after clause (d), the following shall be inserted, namely:-

“(e) any scheduled commercial bank other than a regional rural bank;

(f) any public financial Institution as defined under clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013; and

(g) any other person as may be specified by Board."

(b) after sub-regulation (2), following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(2A) An applicant seeking registration to act as a trustee shall,-

(a) have a networth of not less than two crore rupees.

Explanation.─ For the purposes of this regulation, "networth" means the aggregate value of paid up share capital plus free reserves (excluding reserves created out of revaluation) reduced by the aggregate value of accumulated losses and deferred expenditure not written off;

(b) have in its employment a minimum of two persons who, between them, have atleast five years experience in activities related to securitisation and atleast one among them shall have a professional qualification in law from any university or institution recognised by the Central Government or any State Government or a foreign university:

Provided that the above-said requirements are not applicable on the National Housing Bank established by the National Housing Bank Act, 1987 and National Bank for Agriculture and Rural Development established by the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981)."

(ii) in regulation 11, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(3) A trustee shall,-

(a) supervise the implementation of the covenants regarding creation of security for the securitised debt instruments;

(b) do such acts as are necessary in the event the security becomes enforceable and supervise the enforcement of the security in the interest of the investors;

(c) carry out such acts as are necessary for resolving the grievances of the investors and for the protection of interest of the investors;

(d) ensure on a continuous basis that the trust property of a particular scheme/tranche is available at all times to pay the securitised debt instruments holders of that particular scheme/tranche;

(e) exercise due diligence to ensure compliance by the originators, with the listing agreements (if applicable), the trust deed or any other transaction document and if the originator is a banking company or non-banking financial company as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, trustee shall ensure that it has complied with the guidelines prescribed for securitisation by Reserve Bank of India;

(f) take appropriate measures for protecting the interest of the investors including informing the board about any action, legal proceeding, etc., initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body;

(g) ensure that the securitised debt instruments have been repaid or redeemed in accordance with the provisions and conditions under which they were offered to the investors;

(h) call for periodic reports from the originator regarding the performance of the underlying asset pool, atleast on quarterly basis;

(i) communicate to the investors regarding the compliance by the servicer with its obligations and the actions taken thereof, atleast on quarterly basis;

(j) obtain a certificate from the auditor(s) of originator regarding the disclosures of underlying asset pool assigned to the securitisation trust, as made by the originator, on quarterly basis;

(k) share such reports and auditors certificate as received from the originator or the auditor(s) of originator, with the credit rating agency which is rating the securitised debt instrument;

(l) call a meeting of all the investors on a requisition, in writing signed by at least one-tenth of investors in value for the time being outstanding or at the occurrence of an event, which constitutes a servicer default or which in the opinion of the trustees affects the interest of the investors;

(m) maintain the net worth as per the requirements specified in these regulations on a continuous basis and inform the Board immediately in respect of any shortfall in the net worth and take necessary corrective action to restore the net worth within a period of six months;

(n) ensure that any change in registration status or any administrative , civil or penal action taken by Board or any material change in financial position which may adversely affect the interests of investors is promptly informed to the investors;

(o) not relinquish responsibility as trustee in respect of the issue, unless and until another trustee is appointed in its place;

(p) have necessary infrastructure to discharge its duties including the following:

(i) collecting information and reports from servicers/originator;

(ii) generating cash flow reports, payment reports and meet all reporting requirements required under the Board's or Reserve Bank of India's guidelines/circulars;

(iii) recording investor information;

(iv) entering and maintaining data for the special purpose distinct entity, including cash flows, audited financials, taxation aspects etc.;

(v) issuing cheques/demand drafts or generating RTGS/NEFT requests etc., for interest and principal payments;

(vi) sufficient access controls to ensure confidentiality of data;

(vii) sufficient systems for backup and disaster recovery.

(q) appoint a compliance officer for performing duties including:

(i) monitoring the compliance of the acts, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board, Central Government and State Government(s);

(ii) redressal of investors grievances.

(iii) in Schedule III, after para 11, following shall be inserted, namely:-

"12. A special purpose distinct entity and its trustee shall fulfill its obligations in a prompt, ethical and professional manner.

13. A special purpose distinct entity and its trustee shall not divulge to anybody either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about its investors which has come to its knowledge, without taking prior permission of its investors, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

14. A special purpose distinct entity and its trustee or any of its directors, partners or managers, shall not either through its account or through associates or family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

15. A special purpose distinct entity and its trustee shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its investors and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

16. A special purpose distinct entity and its trustee shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place and shall develop internal code of conduct for governing its internal operations and laying down standards of appropriate conduct for its employees for carrying out their duties.

17. A special purpose distinct entity and its trustee shall not be party to—

i. creation of false market;

ii. price rigging or manipulation."

(iv) in Schedule V, after para 4.2, following shall be inserted, namely:-

"4.3 Summary term sheet including at least following information (wherever relevant) pertaining to the securitised debt instrument:-

Originators	________, __________ (each referred to as an "**Originator**" and collectively referred to as the "**Originators**")
Trustee	[name of trustee]
Issuer	[name of special purpose distinct entity(SPDE)]
Trust Property	
Initial Contribution to the SPDE	INR [ ]
Transaction Size	INR [ ]
Pool Principal on Settlement Date	INR [ ]
Pool Cut Off Date	[date] [Specify future cut offs (if revolving in nature) or purchase of future receivables]
Settlement Date	[date]
Payout Dates	[date]
Transaction Structure	Each Originator proposes to sell the following assets to the Issuer on the Settlement Date: [nature of assets] [description of assets] [amount] The aggregate of the assets shall be referred to as the "**Total Pool**". [specify if par / premium / discount deal] The Issuer intends to issue [ ] securitised debt instruments representing an undivided beneficial interest in the Issuer's property including the Pool. [specify if there are future sales]
Receivables	[detailed description of the receivables] [Aggregate of all the receivables]
Disclosure on key pool features and composition	LTV-based, tenure-based, ticket size based distribution etc
Collection Period	________________
Servicer	_______, _________ (individually referred to as a "**Servicer**" and collectively referred to as the **"Servicers**") • Obligations of the Servicer(s) (including reporting obligations) • Events of default of the Servicer(s) • Right to change the Servicer(s)
Servicer Fee and Incentives	[ ]
Legal Counsel	_______________ [specify whom the Counsel represents]
Credit Enhancement for the Transaction	• Internal credit enhancement available for each class of securitised debt instruments, expressed in absolute amounts and as a proportion of the Pool Principal • External credit enhancement available for each class of securitised debt instruments, expressed in absolute amounts and

	as a proportion of the Pool Principal • Annexure that indicates how the above credit enhancement has been calculated, along with assumptions • Provider of credit enhancement		
Utilisation process and conditions for utilization of Credit Enhancement	[ ]		
Name of Designated bank (with which Cash Collateral and / or Collection and payment Account is maintained)			
Swap	Nature of the swap Swap counterparty, rating of the swap counterparty		
Refund / top up of Credit Enhancement	[ ]		
Clean-Up Call Option	[ ]		
Details of Listing	- Timing for listing - Conditions for remaining listed - Consequence of de-listing		
Rating Agency(ies)	[ ]		
Series of securitised debt instruments	[specify seniority and subordination]		
Day count convention	[ ]		
	Series A1 Securitised Debt Instruments	**Series A2** Securitised Debt Instruments	**Series A3** Securitised Debt Instruments
Seniority			
Face Value			
Initial rating			
Final Maturity Date			
Expected Maturity Date			
Expected Yield			
Payment Schedule			
Expected payment schedule			
Promised payment schedule			
First Payout Date			
Portfolio Audit			
Eligibility Criteria for the Receivables	Regulatory requirements Investor requirements (concentration etc.)		
Minimum Holding Period, if any	Minimum Holding Period, if any, during which the receivables are held by the Originator		

Minimum Retention Requirement, if any	Continuing stake, if any, of Originator, if any, on the receivables
Details of Transaction Documents	
Applicable Law and Jurisdiction	
Waterfall Mechanism	Rules for cash flow to each investor and swap counterparty, and treatment of excess interest / residual cash flows and treatment , in case of prepayment of underlying loans or change in interest rate on loan

"

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB/15]

Footnote:

1. The SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India on 26th May, 2008 *vide* No. LAD-NRO/GN/2008/12/126567.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.